कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 04–सुभाष रोड़ देहरादून।
टेलीफोन– 0135–2713551, 2713552 एवं 2713724
Email ID = election09@gmail.com & ceo_uttaranchal@eci.gov.in

संख्या– 24 /XXV– 01 / 2024 दिनांकः देहरादून 02 जनवरी, 2024

1:–कार्य का नाम :– लोक सभा के सामान्य निर्वाचन हेतु मतदेय स्थलों के प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार की लेखन–निर्वाचन सामग्री आदि की आपूर्ति हेतु ई–निविदा।

2:–ई–निविदा आवेदन शुल्कः– रू0– 1000.00 (रू0–एक हजार मात्र) समस्त कर सहित।

3:–ई–निविदा हेतु समय सारिणी :–

01.	वेबसाईट www.uktenders.gov.in पर निविदा उपलब्ध होने की तिथि व समय :–	**03 जनवरी, 2024 पूर्वान्ह 11:00 बजे से**
02.	प्रि–बिड मीटिंग का दिनांक और समय	**10 जनवरी, 2024 अपरान्ह 03:00 बजे**
03.	प्रि–बिड मीटिंग हेतु स्थान :–	मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, प्रथम तल, विश्वकर्मा भवन, सुभाष रोड़ सचिवालय देहरादून।
04.	इच्छुक निविदा–दाता द्वारा प्रि–बिड के अन्तर्गत उल्लिखित ई–मेल आईडी पर सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय :–	**09 जनवरी, 2024 अपरान्ह 05:00 बजे तक**
05.	वेबसाईट www.uktenders.gov.in पर निविदा अपलोड करने की आरम्भ तिथि व समय :–	**15 जनवरी, 2024 अपरान्ह 01:00 बजे से**
06.	निविदा में निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार तकनीकी ई–निविदा से संबंधित सील्ड लिफाफा जिसके शीर्ष में **"लोक सभा के सामान्य निर्वाचन हेतु मतदेय स्थलों के प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार की लेखन–निर्वाचन सामग्री आदि की आपूर्ति हेतु ई–निविदा"** लिखा होना चाहिए, को मूल रूप में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने का दिनांक और समय :–	**23 जनवरी, 2024 अपरान्ह 03:00 बजे तक**
07.	निर्धारित नियम/शर्तों के अनुसार वेबसाईट www.uktenders.gov.in तकनीकी और वित्तीय ई–निविदा ऑन लाईन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय :–	**23 जनवरी, 2024 अपरान्ह 03:30 बजे तक**
08.	निविदा समिति द्वारा तकनीकी ई–निविदा खोले जाने की तिथि और समय	**23 जनवरी, 2024 अपरान्ह 04:00 बजे**
09	तकनीकी ई–निविदा के मूल्यांकन के फलस्वरूप सफल निविदा–दाताओं की नियमानुसार वित्तीय ई–निविदा खोले जाने की तिथि और समयः–	**तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात यथा समय सूचित किया जाएगा।**

4:– कार्य क्षेत्र में समाहित कार्य का विवरण (Scope of Work)

क्र.सं.	निविदा कार्य का विवरण	अनुमानित मात्रा
3.	मतदेय स्थलों के प्रयोगार्थ लगभग–32 प्रकार की लेखन सामग्री–निर्वाचन सामग्री की किट तैयार कर, राज्य के 13 जिला निर्वाचन कार्यालयों तक आपूर्ति करना।	15000 किट (पन्द्रह हजार किट)

4.1– उपरोक्त तालिका में अंकित लेखन सामग्री, निर्वाचन सामग्री किट की संख्या पूर्ण रूप से अनुमानित है, जो वास्तविक रूप से घट अथवा बढ़ सकती है।

5:–मतदेय स्थलों के प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार की लेखन सामग्री–निर्वाचन सामग्री की किट की आपूर्ति का विवरण :–

क्र. सं.	सामग्री का विवरण	आपूर्ति की अनुमानित संख्या
1.	सेल्फ इंकिंग स्टाम्प पैड बैंगनी स्याही का (110 X 70 MM) 01 प्रति किट	**कुल–15000 किट (पन्द्रह हजार किट)**
2.	माचिस 01 डिब्बी प्रति किट	
3.	साईन बोर्ड **(पीठासीन अधिकारी, Presiding Officer)** ए–4 साईज 90 जीएसएम के सफेद प्रि–गमिंग स्टीकर सीट पर हिन्दी + अंग्रेजी में लाल कलर प्रिन्टिग सहित 01 प्रति किट	**क–** क्रम संख्या 01 से 31 तक की समस्त सामग्री को पारदर्शी हैवी क्वालिटी प्लास्टिक फोल्डर, जिस पर फ्लैप एवं बटन लगा हो, में रखकर पैकिंग कर उपलब्ध करानी होगी।
4.	साईन बोर्ड **(मतदान अधिकारी–1, Polling Officer-1)** ए–4 साईज 90 जीएसएम के सफेद प्रि–गमिंग स्टीकर सीट पर हिन्दी + अंग्रेजी लाल कलर प्रिन्टिग सहित 01 प्रति किट	
5.	साईन बोर्ड **(मतदान अधिकारी–2, Polling Officer-2)** ए–4 साईज 90 जीएसएम के सफेद प्रि–गमिंग स्टीकर सीट पर हिन्दी + अंग्रेजी लाल कलर प्रिन्टिग सहित 01 प्रति किट	
6.	साईन बोर्ड **(मतदान अधिकारी–3, Polling Officer-3)** ए–4 साईज 90 जीएसएम के सफेद प्रि–गमिंग स्टीकर सीट पर हिन्दी + अंग्रेजी लाल कलर प्रिन्टिग सहित 01 प्रति किट	
7.	साईन बोर्ड **(पुरूष, Male)** ए–4 साईज 90 जीएसएम के सफेद प्रि–गमिंग स्टीकर सीट पर हिन्दी + अंग्रेजी लाल कलर प्रिन्टिग सहित 01 प्रति किट	
8.	साईन बोर्ड **(महिला, Female)** ए–4 साईज 90 जीएसएम के सफेद प्रि–गमिंग स्टीकर सीट पर हिन्दी + अंग्रेजी लाल कलर प्रिन्टिग सहित 01 प्रति किट	**ख–** क्रमांक संख्या–03 से 10 तक के प्रिन्टेड साईन बोर्ड स्टीकर, क्रमांक–13 पर अंकित सफेद कागज, क्रमांक–21 पर अंकित कार्बन पेपर, क्रमांक–23 पर अंकित पैकिंग पेपर एवं क्रमांक–28 पर अंकित नोट पैड को ए–4 साईज की पारदर्शी सील किंग पतली पॉलीथीन (पर्यावरण अनुकूल माईक्रोन) में रखकर फिर किट में रखना होगा।
9.	साईन बोर्ड **(मतदान अभिकर्ता, Polling Agent) ए–3** साईज 90 जीएसएम के सफेद प्रि–गमिंग स्टीकर सीट पर हिन्दी + अंग्रेजी लाल कलर प्रिन्टिग सहित 01 प्रति किट (किट में फोल्ड करके रखा जाएगा)	
10.	साईन बोर्ड **(वेबकास्टिंग/सीसीटीवी निगरानी में हैं, You are Under Webcasting / CCTV Surveillance कैमरा के सिंबल सहित) ए–3** साईज 90 जीएसएम के पीले रंग की प्रि–गमिंग स्टीकर सीट पर हिन्दी + अंग्रेजी में लाल कलर प्रिन्टिग सहित 02 प्रति किट (किट में फोल्ड करके रखा जाएगा)	
11.	रबरटिप पेन्सिल एच.बी. विद शार्पनर 01 प्रति किट	
12.	बॉल प्वाइंट पेन नीला–03 प्रति किट, लाल–01 प्रति किट, तथा सिल्वर व्हाइट–01 प्रति किट (कुल–05 बाल प्वाइंट पेन)	
13.	सफेद कागज 65 जी.एस.एम. 08 शीट (ए–4) प्रति किट	
14.	ऑलपिन–यू पिन (20 ऑलपिन + 20 यू पिन का पैकेट) 01 पैकेट प्रति किट	
15.	लाख पैकेट (लाल 06 स्टिक प्रति डिब्बा) 01 डिब्बा प्रति किट	
16.	गम ट्यूब 18 एम.एल. 01 प्रति किट	
17.	फोल्डिंग पेपर नाइफ पॉकेट साइज, 01 प्रति किट	**ग–**क्रमांक **01 से 32** तक सामग्री की प्रिन्ट सूची भी किट के अन्दर रखनी होगी, जो बाहर से स्पष्ट पठनीय हो।
18.	मोमबत्ती (6 इंच लम्बी एवं 24 एम.एम. मोटी प्रति पैकेट 08) 01पैकेट प्रति किट	
19.	वैक्स कोटेड थ्रेडबॉल पतला मजबूत (धागे का गोला 50 ग्राम प्रति) 01 गोला प्रति किट	
20.	स्टील स्केल हैवी 12 इंच का, 01 प्रति किट	

21.	कार्बन पेपर कोरस नीला 04 शीट प्रति किट	
22.	कॉटन क्लाथ डस्टर (खादी टाइप) (24 X 24 इंच) दो प्रति किट	
23.	ब्रॉउन पैकिंग पेपर (34 X 24 इंच) 03 शीट प्रति किट (ए–4 के फोल्ड में)	
24.	अमिट स्याही रखने हेतु प्लास्टिक कप (साइज 2.5 इंच ऊचाई और 2.5 इंच व्यास, थिकनेस 5MM अनब्रेकबल) 01 प्रति किट	
25.	ड्राइंग पिन गोल्डन कलर (50 पिन प्रति पैकेट) 01 पैकेट प्रति किट	
26.	रबरबैण्ड (20 रबर प्रति पैकेट, 2 इंच व्यास के मोटे) 01 पैकेट प्रति किट	
27.	सेलोटेप पारदर्शी 2 इंच चौड़ा, 01 प्रति किट	
28.	नोट पैड (ए–5 साईज यथा 9 X 5.5 इंच, 20 शीट रूलदार कागज की) 01 प्रति किट	
29.	गत्ता ए–4 साइज, 32 यलो ओ.जेड. (औन्स), 04 प्रति किट	
30.	स्टेपलर एम–10 मिनी स्टेपलर + पिन छोटी एम–10–01एम पैकेट, 01 स्टेपलर + 01 पिन पैकेट प्रति किट	
31.	बोल्ड मार्कर पेन मोटे–एक लाल, एक काला कुल 02 प्रति किट	
32.	प्लास्टिक चैकबुक फोल्डर पारदर्शी, (10 X 5.5 इंच विद स्पाईन,फ्लैप बटन) 01 फोल्डर प्रति किट।	

5.1– उपरोक्तानुसार तालिका में अंकित लेखन सामग्री–निर्वाचन सामग्री की **कुल–15,000 (पन्द्रह हजार) किट** तैयार कर आपूर्ति की जायेगी । प्रत्येक किट के लिए उक्त तालिका के कॉलम–2 में ही सामग्री की मात्रा भी अंकित की गयी है। तालिका में अंकित अनुमानित कुल किट की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है।

5.2– तालिका में क्रम संख्या 01 से 31 तक अंकित समस्त सामग्री को पारदर्शी हैवी क्वालिटी प्लास्टिक फोल्डर, जिस पर फ्लैप एवं बटन लगा हो, में रखकर पैकिंग कर आपूर्ति करना होगा। किट के अन्दर सामग्री की सूची भी इस प्रकार से रखी जानी चाहिए कि वह बाहर से पठनीय हो।

5.3– क्रमांक संख्या–03 से 10 तक के प्रिन्टेड साईन बोर्ड स्टीकर, क्रमांक–13 पर अंकित सफेद कागज, क्रमांक–21 पर अंकित कार्बन पेपर, क्रमांक–23 पर अंकित पैकिंग पेपर एवं क्रमांक–28 पर अंकित नोट पैड को पर्यावरण अनुकूल माईक्रोन की ए–4 साईज की पारदर्शी सील किंग पतली पॉलीथीन में रखकर ही किट के अन्दर रखना होगा।

5.4– तालिका के क्रमांक–32 पर अंकित पारदर्शी प्लास्टिक चैकबुक फोल्डर भी निर्धारित माप तथा वर्गीकरण के अनुसार उच्च गुणवत्ता एवं हैवी ड्यूटी की होनी चाहिए क्योंकि इसके अन्दर लगभग–9 प्रकार की विभिन्न निर्वाचन सामग्री रख कर पैक की जानी है। इस चैकबुक फोल्डर पर बन्द करने के लिए बटनयुक्त उचित फ्लैप की व्यवस्था होनी चाहिए। इस चैकबुक फोल्डर को किट के अन्दर न रखा जाय बल्कि इसको 100–100 अथवा 50–50 की पैकिंग में (जैसी भी सुविधा हो) अलग ही रखा जाय।

5.5– खण्ड–ग की उक्त तालिका में अंकित समस्त सामग्री उच्च गुणवत्तायुक्त होनी चाहिए, गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर आपूर्तिकर्ता इसके लिए उत्तरदायी होगें।

6:– पात्रता हेतु मानदण्ड (Eligibility Criteria):-

6.1– ई–निविदा दाता एक ऐसी प्रतिष्ठित फर्म होनी चाहिए जिसे विगत पांच वर्षों (2018–19 से 2022–23) में से कम से कम किन्हीं भी तीन वर्षों में, केन्द्र/किसी राज्य सरकार के विभागों, केन्द्र/किसी राज्य सरकार के सार्वजनकि उपक्रमों, या केन्द्र/किसी राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों, या स्वायतशसी निकायों, या अनुसंधान केन्द्र–केन्द्रों, या बैंक और वित्तीय संस्थानों, या स्थानीय निकायों अथवा प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों में लेखन सामग्री, मुद्रण योग्य स्टेशनरी, ब्रोशर, पैम्फलेट आदि की आपूर्ति का अनुभव होना चाहिए।

6.2– ई–निविदा दाता फर्म को केन्द्र/किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत होना चाहिए ।

6.3– ई–निविदा दाता फर्म का GST **रजिस्ट्रेशन तथा** पैन कार्ड होना अनिवार्य होगा।

6.4– निविदा दाता फर्म का केन्द्र/किसी राज्य सरकार के विभागों, केन्द्र/किसी राज्य सरकार के सार्वजनकि उपक्रमों, या केन्द्र/किसी राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों, या स्वायतशसी निकायों, या अनुसंधान केन्द्र–केन्द्रों, या बैंक और वित्तीय संस्थानों, या स्थानीय निकायों अथवा प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों में लेखन सामग्री, मुद्रण योग्य स्टेशनरी, ब्रोशर, पैम्फलेट आदि की आपूर्ति के संबंध में विगत पांच वर्षों यथा **वित्तीय वर्ष–2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 तथा 2022–23 में से किन्ही तीन** वित्तीय वर्ष में प्रत्येक वर्ष में औसत टर्नओवर कम से कम रू0– **50.00 लाख (पच्चास लाख)** प्रति वर्ष **होना चाहिए।**

6.5– ई–निविदा दाता फर्म के सभी अभिलेख नियमानुसार उसी नाम से होने चाहिए जिस नाम से संबंधित निविदा–दाता द्वारा अपनी ई–निविदा प्रस्तुत की जा रही है।

6.6– ई–निविदा–दाता को भारत सरकार/किसी भी राज्य सरकार/पी.एस.यू. से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।

6.7– ई–निविदा–दाता का विगत पांच वर्षों (2018–19 से 2022–23) में से **किसी भी एक वित्तीय वर्ष में** केन्द्र/किसी राज्य सरकार के विभागों, केन्द्र/किसी राज्य सरकार के सार्वजनकि उपक्रमों, या केन्द्र/किसी राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों, या स्वायतशसी निकायों, या अनुसंधान केन्द्र–केन्द्रों, या बैंक और वित्तीय संस्थानों, या स्थानीय निकायों अथवा प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों में लेखन सामग्री, मुद्रण योग्य स्टेशनरी, ब्रोशर, पैम्फलेट आदि की आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कार्यादेश तथा सन्तोषजनक कार्य के संबंध में संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया कार्यपूर्ति एवं अंतिम भुगतान का स्पष्ट प्रमाण–पत्र होना चाहिए:–

- **क–किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 15.00–15.00 लाख (पन्द्रह–पन्द्रह लाख) के तीन अलग–अलग आदेश, या**
- **ख–किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 30–30 लाख (तीस–तीस लाख) के दो अलग–अलग आदेश, या**
- **ग–किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 50.00 लाख (पच्चास लाख) का एक सिंगल आदेश।**

6.8– निविदा–दाता को आयकर एवं अन्य किसी भी कर जो भी देय हों, का देनदार नहीं होना चाहिए। वित्तीय वर्ष–2022–2023 तक का आयकर रिटर्न जमा होना चाहिए।

6.9– निविदा में प्रतिभाग करने के लिए MSME के अन्तर्गत पंजीकरण की कोई बाध्यता नहीं है, यदि अन्यथा अनर्ह न हो तो कोई भी इच्छुक निविदा–दाता नियमानुसार अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकता है। MSME के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में सूक्ष्म व लघु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 (EM Part-2) /उद्योग आधार फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की हो,

तथा क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड में पंजीकृत फर्म को "प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प एवं स्टार्टप्स सहित) के लिए क्रय वरीयता नीति–2019" (समय–समय पर संशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निविदा प्रपत्र के शुल्क और EMD आदि में नियमानुसार उस सीमा तक छूट का प्राविधान होगा। अर्थात केवल उत्तराखण्ड राज्य में निविदा में उल्लिखित कार्यो हेतु नियमानुसार MSME में पंजीकृत फर्मो आदि को ही निविदा के शुल्क और EMD आदि में छूट देय होगी। अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय–समय पर संशोधित) के साथ ही MSME के लाभ देय होगें। MSME पंजीकरण में लेखन सामग्री, मुद्रण योग्य स्टेशनरी, ब्रोशर, पैम्फलेट आदि की आपूर्ति का उल्लेख होना अनिवार्य होगा।

6.10– केवल अंतिम रूप से तकनीकी अर्हता प्राप्त सफल निविदा–दाताओं की वित्तीय निविदा ही नियमानुसार खोली जाएगी। सशर्त कोई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। कदाचित यदि कोई निविदा–दाता निर्धारित निविदा–शुल्क, या जमानत की धनराशि (EMD) और भौतिक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली किसी भी तकनीकी निविदा को निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो ऐसे किसी भी निविदा–दाता की ई–निविदा का तकनीकी मूल्यांकन नहीं किया जाएगा बल्कि ऐसी किसी भी निविदा/निविदाओं को प्रथम दृष्ट्या निरस्त समझा जाएगा।

6.11– तकनीकी निविदा में भौतिक रूप में केवल वही अभिलेख/विवरण प्रस्तुत किए जांय जिन्हें निविदा की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है। अपेक्षित अभिलेख के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख भौतिक रूप से प्रस्तुत न किए जांय। इसी प्रकार ऑन लाईन ई–निविदा में भी केवल उतने/उन्हीं अभिलेखों को स्केन कर अपलोड किया जाय जितनी अपेक्षा की गयी हो। अनावश्यक एवं अवांछित कोई भी अभिलेख ई–निविदा के रूप में अपलोड न किए जांय। अर्थात केवल चैकलिस्ट के अनुसार क्रमवद्ध रूप से ही वांछित अभिलेख/विवरण ई–निविदा में ऑन लाईन अपलोड किए जांय।

6.12– तकनीकी निविदा के रूप में भौतिक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों/सैम्पल आदि का विवरण ANNEXURE-6 में अंकित है, उसी क्रम में सभी अभिलेख/सैम्पल ANNEXURE-6 के साथ प्रस्तु करने अनिवार्य होंगें। ANNEXURE-6 के प्रत्येक बिन्दु पर वांछित सूचना भी उस पर अंकित करनी अनिवार्य होगी, यदि किसी बिन्दु पर कोई सूचना अंकित/प्रदर्शित नहीं की जाती है, अथवा खाली छोड़ दी जाती है, या वांछित सैम्पल प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित निविदा को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा जिसके लिए निविदा–दाता स्वयं उत्तरदायी होगा। तकनीकी निविदा के रूप में भौतिक रूप से केवल उतने ही अभिलेख/सूचना स्वीकार्य होगी जितनी कि ANNEXURE-6 में चाही गयी है। यदि कोई निविदा–दाता ऑनलाईन अपलोड अभिलेख/सूचना की प्रति भी तकनीकी निविदा के सील्ड लिफाफे में प्रस्तुत करता है तो ऐसे किसी भी अभिलेख/सूचना को तकनीकी मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

6.13– ऑनलाईन निविदा के रूप में अपलोड किए जाने वाले सभी अभिलेखों का विवरण ANNEXURE-7 में अंकित किया गया है और उसी क्रम में सभी वांछित अभिलेख क्रमबद्ध रूप से अपलोड करने अनिवार्य होंगें। प्रत्येक अभिलेख पर पेज नम्बर क्रमबद्ध होने चाहिए। अपलोड किए जाने वाले सभी अभिलेखों पर निविदा–दाता फर्म आदि के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित फर्म की मुहर लगी होनी चाहिए। ANNEXURE-7 में वांछित यदि कोई अभिलेख/सूचना ऑन लाईन अपलोड नहीं पाई जाती है, या किसी अभिलेख पर निविदा–दाता फर्म आदि के अधिकृत प्रतिनिधि

के हस्ताक्षर/फर्म आदि की मुहर नहीं लगी होगी तो ऐसी स्थिति में, ऐसी किसी भी निविदा को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा जिसके लिए निविदा–दाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

6.14– विभागीय निविदा के इस अभिलेख (With Corrigendum if any) को भी अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर/फर्म की मुहर सहित तकनीकी निविदा के रूप में ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा ऐसी किसी भी निविदा को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कर लिया जाएगा।

6.15– निविदा–दाता द्वारा अपनी तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत किए गए कागज आदि के विभिन्न सैम्पल की समिति द्वारा तकनीकी जांच कराई जाएगी और तकनीकी जांच में निर्धारित गुणवत्ता से कम की गुणवत्ता पाए जाने पर ऐसी किसी भी निविदा को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कर लिया जाएगा।

7:– अभिलेख जिन्हें तकनीकी ई–निविदा से संबंधित सील्ड लिफाफे में मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (चैकलिस्ट ANNEXURE-6 के साथ) :–

7.1– निविदा प्रपत्र का मूल्य **₹ 1000.00** (₹ एक हजार) की धनराशि, किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से तैयार बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक, (मूल में) जिसे **मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड** (Chief Electoral Officer Uttarakhand) के नाम से तैयार किया गया हो ।

7.2– ई–निविदा हेतु निर्धारित EMD **₹1,75,000.00** (₹ एक लाख पिच्चहतर हजार) की धनराशि किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से तैयार **केवल सावधि जमा रसीद** (FDR/TDR), **या बैंक गारण्टी** (BG), **या राष्ट्रीय बचत पत्र** (NSC) **अथवा डिमांड ड्रॉफ्ट (मूल में)** जिसे मुख्य **निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड** (Chief Electoral Officer Uttarakhand) के नाम से तैयार किया गया हो और उसकी वैधता कम से कम 90 दिन की होनी चाहिए।

7.3– निविदा–दाता को भारत सरकार/किसी भी राज्य सरकार/पी.एस.यू. से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए इसके संबंध में निविदा–दाता को **₹100.00 के नॉन जूडिशियल** स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित निम्न तीन बिन्दुओं पर निर्धारित शपथ–पत्र मूल रूप में ***तकनीकी निविदा के साथ*** प्रस्तुत करना होगा कि:–

1– फर्म आदि किसी भी राज्य में ब्लेक लिस्टेड नहीं है और न ही उसकी जमानत की धनराशि को जब्त किया गया है।

2– किसी भी सरकारी विभाग/पी.एस.यू. में किसी भी प्रकार का विधिक विवाद भी नहीं है।

3– तकनीकी ई–निविदा के साथ फर्म द्वारा प्रस्तुत सभी सूचनाएं/अभिलेख सत्य हैं और कोई भी सूचना, जिसे निविदा के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था छिपाई नहीं गई है।

7.4– ***MSME के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में सूक्ष्म व लघु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 (EM Part-2) /उद्योग आधार फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की हो, तथा क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड में पंजीकरण संबंधी वैध प्रमाण–पत्र की प्रति (यदि कोई हो)।***

7.5– लेखन सामग्री–निर्वाचन सामग्री की किट का सैम्पल ANNEXURE-6 में अंकित विवरण के अनुसार। ANNEXURE-6 में यथा स्थान वांछित विवरण/सूचना अंकित/प्रस्तुत न करने, या किसी बिन्दु पर वांछित सूचना को खाली छोड़ने पर और निर्धारित माप, मात्रा और गुणवत्ता के के साथ लेखन सामग्री किट का सैम्पल प्रस्तुत न करने पर ऐसी किसी भी निविदा को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा।

7.6– POWER OF ATTORNEY FOR SIGNING OF BID, in ANNEXURE-8 (रू0.100.00 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मूल में)

8 :– अभिलेख जिन्हें तकनीकी ई–निविदा के रूप में ऑन–लाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा (चैकलिस्ट ANNEXURE-7 के साथ) :–

8.1– निविदा–दाता फर्म का GST रजिस्ट्रेशन संबंधी अभिलेख (यथा नियमानुसार)

8.2– निविदा–दाता फर्म के पैन कार्ड की प्रति।

8.3– MSME के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में सूक्ष्म व लघु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 (EM Part-2) / उद्योग आधार फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की हो, तथा क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड में पंजीकरण संबंधी वैध प्रमाण–पत्र की प्रति, यदि कोई हो।

8.4 विगत पांच वर्षों (2018–19 से 2022–23) में से कम से कम किन्हीं भी तीन वर्षों में केन्द्र / किसी राज्य सरकार के विभागों, केन्द्र / किसी राज्य सरकार के सार्वजनकि उपक्रमों, या केन्द्र / किसी राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों, या स्वायतशसी निकायों, या अनुसंधान केन्द्र–केन्द्रों, या बैंक और वित्तीय संस्थानों, या स्थानीय निकायों अथवा प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों में लेखन सामग्री, मुद्रण योग्य स्टेशनरी, ब्रोशर, पैम्फलेट की आपूर्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति, या उसके सादृश्य अन्य सुसंगत अभिलेख जिसमें उक्तानुसार किन्हीं तीन वर्षो में संबंधित कार्य करने का अनुभव सुस्पष्ट परिलक्षित होता हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत अभिलेख में विषय वस्तु यथा निविदा–दाता फर्म का पूरा नाम और पता, अनुभव से संबंधित वर्षो का विवरण एवं कार्य का विवरण ऐसे अभिलेख में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए। प्रस्तुत किए गऐ अभिलेख में किसी प्रकार की कमी अथवा अपूर्णता और अस्पष्टता के लिए निविदा–दाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

8.5– विगत पाँच वित्तीय वर्षों यथा ***वित्तीय वर्ष–2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 तथा 2022–23 में से किन्हीं तीन वित्तीय वर्ष*** के टर्नओवर से संबंधित सी0ए0 द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंसशीट का **सार CA** के Letterhead पर संबंधित सी.ए. के UDIN सहित।

8.6– विगत पांच वर्षों (2018–19 से 2022–23) में से **किसी भी एक वित्तीय वर्ष में** केन्द्र / किसी राज्य सरकार के विभागों, केन्द्र / किसी राज्य सरकार के सार्वजनकि उपक्रमों, या केन्द्र / किसी राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों, या स्वायतशसी निकायों, या अनुसंधान केन्द्र–केन्द्रों, या बैंक और वित्तीय संस्थानों, या स्थानीय निकायों अथवा प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों में लेखन सामग्री, मुद्रण योग्य स्टेशनरी, ब्रोशर,

पैम्फलेट की आपूर्ति के संबंध में निम्नलिखित कार्यादेश तथा सन्तोषजनक कार्य के संबंध में संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया कार्यपूर्ति एवं अंतिम भुगतान का स्पष्ट प्रमाण–पत्र अपलोड करना चाहिए:–

क–किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 15.00–15.00 लाख (पन्द्रह–पन्द्रह लाख) के तीन अलग–अलग आदेश, या

ख–किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 30–30 लाख (तीस–तीस लाख) के दो अलग–अलग आदेश, या

ग–किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 50.00 लाख (पच्चास लाख) का एक सिंगल आदेश।

8.7– कार्यादेश के सापेक्ष सन्तोषजनक कार्य के संबंध में संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया कार्यपूर्ति एवं अंतिम भुगतान के स्पष्ट प्रमाण–पत्र की प्रति, जिसमें समाविष्ट विषय वस्तु यथा निविदा–दाता फर्म का पूरा नाम और कार्यादेश का स्पष्ट विवरण, बिल संख्या एवं दिनांक, बिल की धनराशि तथा भुगतान का दिनांक आदि विवरण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए। वांछित सूचना में किसी प्रकार की कमी अथवा अपूर्णता और अस्पष्टता के लिए निविदा–दाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

8.8– वित्तीय वर्ष–2022–2023 तक जमा आयकर रिटर्न से संबंधित अभिलेख।

8.9– निविदा के इस सम्पूर्ण अभिलेख (Corrigendum सहित यदि कोई हो) की प्रति।

8.10–निविदा–दाता को **₹100.00 के नॉन जूडिशियल** स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित ब्लेक लिस्टेड न होने के संबंध में निर्धारित तीन बिन्दुओं पर शपथ–पत्र की प्रति।

8.11–अन्य अभिलेख यदि कोई हों (अधिकत्तम 4 पेज में)।

8.12–उक्त बिन्दु संख्या–**8.1 से 8.11** पर अंकित समस्त अभिलेखों पर निविदा–दाता के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं फर्म की मुहर लगी होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में स्केन कर चस्पा किए गए हस्ताक्षर एवं मुहर स्वीकार्य नहीं होंगे। वांछित अभिलेखों के प्रत्येक पेज पर नियमानुसार Digital Signature भी स्वीकार होंगे।

9 :– वित्तीय ई–निविदा :–

9.1– **वित्तीय ई–निविदा** नियत BOQ के प्रारूप में ही नियमानुसार केवल ऑन लाईन प्रस्तुत की जायगी। BOQ में प्रस्तुत दरों में GST एवं अन्य कोई भी कर (Tax) सम्मिलित नहीं होगा। अर्थात ऑन लाईन BOQ में दरें Excluding all taxes ही प्रस्तुत की जायेंगी।

9.2– **वित्तीय ई–निविदा** के प्रारूप BOQ में दरें निम्न प्रकार की प्रस्तुत की जायेंगीः–

ANNEXURE-1

मतदेय स्थलों के प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार की लेखन सामग्री, निर्वाचन सामग्री आदि की किट की आपूर्ति हेतु

वित्तीय ई–निविदा हेतु प्रारूप BOQ

SL No.	Detail of Item	Estimated quantity in Numbers.	Base Rate (Excluding GST)	* Gross Amount (Excluding GST)
1	2	3	4	5
1.	Item No. 1 to 32 Various Stationery and Election Material etc. Kit (**Rate Per Kit**)	15000		
	Total -			

*** GST as applicable.**

नोट :– कॉलम संख्या–5 में आगणित कुल (Total) न्यूनत्तम धनराशि के आधार पर ही किसी निविदा–दाता को L1 की श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय ई–निविदा में दर्शाई गई मूल दरें एवं GST हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही हैं।

निविदा दाता फर्म का नाम

फर्म का पूरा पता–

एसटीडी कोड सहित टेलीफोन नम्बर–

जीएसटी नम्बर–

पैन नम्बर–

फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम–

मोबाईल नम्बर–

10:–बिल प्रस्तुत करना एवं उनका भुगतानः–

10.1– सन्तोषजनक कार्यपूर्ति के पश्चात प्रस्तुत बिलों में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित GST (As per applicable) आदि कर देय होगा।

10.2– सन्तोषजनक कार्यपूर्ति के फलस्वरूप तद्संबंधी बिल निहित प्राविधानों के अनुसार संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय में ही भुगतान हेतु नियमानुसार प्रस्तुत किए जायेंगें। भुगतान की सम्पूर्ण कार्यवाही संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा ही नियमानुसार सुनिश्चित की जाएगी।

10.3– अंतिम रूप से सफल निविदा–दाता को निविदा में निहित नियम–शर्तों के अनुसार लिफाफों, प्रपत्रों, लेखन–निर्वाचन सामग्री एवं मतदान प्रकोष्ठ आदि की आपूर्ति कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात नियत तिथि और समयान्तर्गत सुनिश्चित करनी होगी।

10.4– विहित माप, मात्रा एवं गुणवत्ता के साथ सन्तोषजनक आपूर्ति के पश्चात संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा सामग्री की जाँचोपरान्त पुष्टि के फलस्वरूप विलम्बतम 90 दिन के अन्दर नियमानुसार सम्बन्धित देयकों का भुगतान किया जायेगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में बजट की अपरिहार्य अनुपलब्धता अथवा अपर्याप्तता के कारण भुगतान में विलम्ब हो सकता है। भुगतान की जाने वाली धनराशि पर नियमानुसार TDS की कटौती भी की जायेगी।

10.5–जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर कि, सम्बन्धित फर्म द्वारा कार्य सन्तोषप्रद रूप से पूर्ण कर लिया गया है एवं किसी प्रकार के अर्थदण्ड (Penalty) एवं Liquidated Damage की कटौती देय नहीं है तथा सम्बन्धित फर्म द्वारा विहित सामग्री की नियत मापत्र मात्रा एवं गुणवत्ता के साथ सन्तोषजनक ढंग से आपूर्ति की गयी है, के पश्चात ही कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Performance Security) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा मुक्त की जायेगी।

11– अप्रत्याशित घटना (FORCE MAJEURE) :–

11.1– निविदा–दाता फर्म की कार्यपूर्ति प्रतिभूति को जब्त करने/Liquidated Damages का दावा करने या अनुबंध की वैधता को समाप्त करने का आधार नहीं होगा, यदि अनुबंध के तहत दायित्वों का निर्वहन करने में कोई विलम्ब या अन्य विफलता किसी अप्रत्याशित घटना के कारण परिलक्षित होती हो।

11.2– अप्रत्याशित घटना का आशय अनुबंधित फर्म के नियंत्रण से इतर ऐसी कोई घटना है जिसमें अनुबंधित फर्म की कोई गलती या लापरवाही परिलक्षित नहीं होती है और जिसका कोई पूर्वानुमान भी नहीं है जैसे, युद्ध या क्रांति, आग, बाढ, महामारी, क्वारंटीन प्रतिबंध, माल ढुलाई प्रतिबंध या कोई दैवीय आपदा सम्मिलित हो सकती है।

11.3– यदि किसी समय इस प्रकार कोई अप्रत्याशित घटना उत्पन्न होती है तो, अनुबंधित फर्म को ऐसी स्थिति और उसके कारण के बारे में तत्काल उसी दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को लिखित रूप में सूचित करना होगा। कार्य की महत्ता और समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए अनुबंधित फर्म को अप्रत्याशित घटना से बाधित होने वाले प्रदर्शन के लिए सभी उचित वैकल्पिक साधनों की पहचान/तलाश भी सुनिश्चित करनी होगी।

12–अनुबंध का निलंबन और समाप्ति :–

12.1– अनुबंध के तहत उल्लिखित प्राविधानों के अधीन अनुबंध अवधि की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जाएगा।

12.2– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अनुबंध को समाप्त कर सकता है यदि, अनुबंधित फर्म अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन करती है और उल्लघंन की सूचना मिलने के पाँच दिन के अन्दर इसे सुधारने में विफल रहती है।

12.3– यदि अनुबंधित फर्म दिवालिया हो जाती है/या हो जाता है, तो अनुबंधित फर्म को 05 दिन का लिखित नोटिस (निर्वाचन कार्यों की महत्ता, समयबद्धता एवं तात्कालिकता के दृष्टिगत नोटिस की अवधि 05 दिन से कम की भी हो सकती है) देकर बिना किसी मुआवजे के किसी भी समय अनुबंध समाप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार से अनुबंध समाप्ति से अनुबंधित कार्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा या कार्यवाही अथवा किसी उपचार के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा जो उसके बाद अर्जित हुई या अर्जित होगी।

12.4– मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अनुबंध अवधि के दौरान यदि केन्द्र/किसी राज्य सरकार के विभागों, केन्द्र/किसी राज्य सरकार के सार्वजनकि उपक्रमों, या केन्द्र/किसी राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों, या स्वायतशसी निकायों, या अनुसंधान केन्द्र–केन्द्रों, या बैंक और वित्तीय संस्थानों, या स्थानीय निकायों अथवा प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा अनंबंधित फर्म के ब्लेक लिस्ट में डाले जाने या ब्लेक लिस्टेड होने की जानकारी अथवा अनुबंधित फर्म को कानूनी/कर चोरी के मामले में दोषी पाए जाने/ठहराए जाने की किसी सूचना पर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

12.5– L-1 द्वारा निर्धारित माप, मात्रा और गुणवत्तायुक्त आपूर्ति न करने, या दोषपूर्ण/घटिया सेवा प्रदान करने अथवा अनुबंध के अनुसार नियत अवधि के अन्तर्गत सेवा प्रदान न करने पर शासकीय कार्यहित में तत्काल अनुबंधित फर्म को निलंबित कर लिया जाएगा। शासकीय कार्यहित में L-2 को L-1 की दर पर कार्य करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा, परन्तु कदाचित यदि L-2 विहित कार्य को L-1 की दर पर करने के लिए सहमत नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कार्यहित में L-2 को L-2 की दर पर अथवा बाजार में प्रचलित दर पर (जैसी भी स्थिति हो) कार्यादेश जारी किए जाएगा। इस प्रकार यदि L-2 की दर अथवा बाजार में प्रचलित दर, L-1 की दर से अधिक होती है तो दरों में परिलक्षित अंतर के सापेक्ष आगणित धनराशि की प्रतिपूर्ति की कार्यवाही L-1 निविदा–दाता से की जाएगी। यद्यपि प्रकरण पर अंतिम निर्णय से पूर्व सभी पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

13–मध्यस्थता :–

13.1– अनुबंध के संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद को विभाग और अनुबंधित फर्म द्वारा सीधे अनौपचारिक बातचीत द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

13.2– यदि ऐसी अनौपचरिक बात प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अन्तर्गत विभाग और अनुबंधित फर्म विवाद को सौहार्दपूण ढंग से हल करने में विफल रहती हैं तो, किसी भी पक्ष को आवश्यकता हो सकती है कि विवाद को औपचारिक रूप से समाधान के लिए तीसरे पक्ष को मध्यस्तता हेतु भेजा जाय।

13.3– इस प्रकार के विवाद को समाधान के लिए तीसरे पक्ष के रूप में सचिव, निर्वाचन उत्तराखण्ड शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।

13.4— मध्यस्तता का कार्य क्षेत्र देहरादून मुख्यालय होगा तथा मध्यस्ता की कार्यवाही हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। निविदा के संबंध में न्यायाधिकार क्षेत्र देहरादून होगा।

14:—निविदा के संबंध में अन्य नियम एवं शर्तें:—

14.1 ई—निविदा में प्रतिभाग करने के लिए निविदादाताओं के पास DSC (Digital Signature Certificate) होना अनिवार्य है।

14.2 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली—2017 (समय समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों एवं शासन द्वारा तद्—विषयक समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों के अनुसरण में विधान सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन हेतु **विभिन्न प्रकार की लेखन सामग्री—निर्वाचन सामग्री आदि की किट की आपूर्ति हेतु** GST पंजीकृत अनुभवी, प्रतिष्ठित फर्मों के इच्छुक निविदा—दाताओं से **दिनांक 23 जनवरी, 2024 को अपरान्ह 03:00 बजे तक** वेबसाईट **www.uktenders.gov.in** के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय ई—निविदा केवल ऑन लाईन आमंत्रित की जाती है।

14.3 निविदा—दाता फर्म आदि का GST **रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अभिलेखों की सत्यापित छाया प्रति,** जिसमें पैन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति भी हो, ई—तकनीकी निविदा के साथ उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।

14.4 **विभिन्न प्रकार लेखन सामग्री आदि की आपूर्ति हेतु विगत कम से कम 05 साल (पाँच साल) का अनुभव** होना अनिवार्य है, जिसमें किसी भी एक वर्ष में प्रस्तर—6.7 (क), (ख) अथवा (ग) में से किसी भी एक श्रेणी में किसी भी केन्द्र/किसी राज्य सरकार के विभागों, केन्द्र/किसी राज्य सरकार के सार्वजनकि उपक्रमों, या केन्द्र/किसी राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों, या स्वायतशसी निकायों, या अनुसंधान केन्द्र—केन्द्रों, या बैंक और वित्तीय संस्थानों, या स्थानीय निकायों अथवा प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों में लेखन सामग्री, मुद्रण योग्य स्टेशनरी, ब्रोशर, पैम्फलेट की सन्तोषजनक ढंग से आपूर्ति का अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति ई—तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14.5 निविदा—दाता द्वारा तकनीकी बिड **ANNEXURE-6** तथा **ANNEXURE-7** में एवं वित्तीय ई—निविदा केवल निर्धारित प्रारूप **BOQ (ANNEXURE-1** में ही ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी, अन्य किसी भी प्रारूप आदि पर वित्तीय ई—निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। तकनीकी ई—निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म आदि के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा फर्म की मुहर सहित हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। तकनीकी बिड के साथ विभागीय ई—निविदा के इस सम्पूर्ण अभिलेख को भी हस्ताक्षर कर **अपलोड करना अनिवार्य** होगा।

14.6 निविदा—दाता का उपरोक्तानुसार **विभिन्न प्रकार की लेखन सामग्री आदि की आपूर्ति** के संबंध में केन्द्र/किसी राज्य सरकार के विभागों, केन्द्र/किसी राज्य सरकार के सार्वजनकि उपक्रमों, या केन्द्र/किसी राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों, या स्वायतशसी निकायों, या अनुसंधान केन्द्र—केन्द्रों, या बैंक और वित्तीय संस्थानों, या स्थानीय निकायों अथवा प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों में लेखन सामग्री, मुद्रण योग्य स्टेशनरी, ब्रोशर, पैम्फलेट की सन्तोषजनक ढंग से गुणवत्तायुक्त आपूर्ति सम्बन्धी कार्यों का विगत पाँच वर्षों में **वित्तीय वर्ष— 2018—19, 2019—20, 2020—21** एवं **2021—22** एवं **2022—23 में किन्हीं तीन** वर्ष में, **प्रत्येक वर्ष में औसत टर्नओवर रू0—50.00 लाख (पच्चास लाख) होना चाहिए तथा पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए।**

14.7 टर्नओवर से संबंधित सी0ए0 द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंसशीट का **सार CA** के Letterhead पर संबंधित सी.ए. के UDIN सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14.8 निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म आदि को भारत सरकार/किसी भी राज्य सरकार से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। फर्म आदि को **₹ 100.00 के नॉन जूडिशियल** स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथ–पत्र ***ई–तकनीकी निविदा के साथ*** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि:–

1– फर्म ब्लेक लिस्टेड नहीं है और न ही उसकी जमानत की धनराशि को जब्त किया गया है।

2– किसी भी सरकारी विभाग/कार्यालय में किसी भी प्रकार का कोई विधिक विवाद नहीं है।

3– तकनीकी ई–निविदा के साथ फर्म द्वारा प्रस्तुत सभी सूचनाएं/अभिलेख सत्य हैं और कोई भी सूचना, जिसे निविदा के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था, छिपाई नहीं गई है।

14.9 **वित्तीय वर्ष– 2022–23 तक** जमा आयकर रिटर्न से **संबंधित रसीद/अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रति *ई–तकनीकी निविदा के साथ* प्रस्तुत करनी** अनिवार्य होगी।

14.10 निविदा के साथ धरोहर (EMD) की धनराशि **प्रस्तर–7.2** में निहित प्राविधानों यथा अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से तैयार **केवल सावधि जमा रसीद** (FDR/TDR), **या बैंक गारण्टी** (BG), **या राष्ट्रीय बचत पत्र** (NSC) **अथवा डिमांड ड्रॉफ्ट (मूल में)** जिसे मुख्य **निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड** (Chief Electoral Officer Uttarakhand) के नाम से तैयार किया गया हो और उसकी वैधता कम से कम 90 दिन की होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर वैधता तिथि को विस्तारित करने का दायित्व निविदा–दाता का होगा।

14.11 निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर नियमानुसार किसी भी फर्म/फर्मों की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात फर्म/फर्मों को **₹ 100.00 के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पेपर** पर तत्काल अनुबन्ध करना होगा जिसकी विषय वस्तु से यथा समय अवगत करा दिया जायेगा।

14.12 निविदा हेतु नियत अन्तिम तिथि व समय तक प्राप्त **ई–निविदाओं** की तकनीकी निविदाओं को, **नियत तिथि एवं समय पर** निविदा समिति के अधिकृत अधिकारियों के द्वारा, उपस्थित निविदा–दाताओं के समक्ष खोला जायेगा और तत्पश्चात तकनीकी ई–निविदाओं का नियमानुसार निविदा समिति द्वारा मूल्यांकन (Evaluation) किया जायेगा। किन्तु यदि तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि और समय पर कोई निविदा–दाता उपस्थित नहीं होगा तो निविदा समिति द्वारा नियमानुसार तकनीकी निविदा खोले जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही समय पर सम्पादित की जायेगी। निविदा–दाताओं की अनुपस्थिति में तकनीकी निविदा न खोले जाने का कोई आधार नहीं होगा।

14.13 आपूर्ति की जाने वाली लेखन सामग्री–निर्वाचन सामग्री नियत माप, मात्रा एवं उच्च गुणवत्तायुक्त होनी चाहिए। सभी सामग्री की Specification निविदा आलेख में स्पष्ट की गई है, कदाचित जिस/जिन सामग्री की Specification निविदा आलेख में अंकित नहीं है या किसी प्रकार का कोई संशय हो तो ऐसी सामग्री को नमूने के अनुसार नियत Specification के आधार पर ही आपूर्ति की जायेगी।

14.14 निविदा–दाता द्वारा अपनी तकनीकी निविदा के प्रस्तुत की गयी लेखन सामग्री किट के सैम्पल, जिन्हें समिति द्वारा तकनीकी रूप से नियत गुणवत्ता के साथ उपयुक्त पाया गया हो, इन्हीं सैम्पल के आधार पर फर्म द्वारा फैक्ट्री आदि में तैयार की गयी सामग्री की, किट की समिति के द्वारा माप, मात्रा एवं गुणवत्ता सहित कतिपय प्रिन्टिंग एवं पैकिंग

आदि की Randomly तकनीकी जाँच की जाएगी और यदि जांच में किसी प्रकार की सामग्री की मापत्र मात्रा और गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है तो तदनुसार फर्म को निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप पुनः ऐसी किसी भी सामग्री या सम्पूर्ण किट पुनः तैयार करनी होगी। समिति का पूर्ण रूप से समाधान होने के पश्चात ही फर्म के कार्यालय/कार्यशाला से लेखन सामग्री की वांछित किट की जनपदवार आपूर्ति हेतु आदेश जारी किया जाएगा।

14.15 लेखन सामग्री की किट में रखी गयी किसी भी सामग्री की माप, मात्रा और गुणवत्ता तथा पैकिंग आदि में कमी पाए जाने पर शास्ति (Penalty)

1.	निविदा में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार सामग्री की माप, मात्रा और गुणवत्ता में कमी/त्रुटि।	अनुबंधित मूल्य का 5% की धनराशि
2.	Printing defects such as, show through, set off, Scum, Slur, Picking, -Plucking, Bleeding, Wipe off, Tint, Ink spot, Roller image (in various board etc.)	अनुबंधित मूल्य का 2% की धनराशि
3.	निविदा में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार पैकिंग में कमी।	अनुबंधित मूल्य का 2% की धनराशि

14.16 तकनीकी निविदा के मूल्यांकन एवं वर्गीकरण के उपरान्त सफल निविदा—दाताओं की सूची तैयार की जायेगी। ई—तकनीकी निविदा में अर्ह पाये गये निविदा—दाताओं की ही यथा समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार वित्तीय ई—निविदाएं खोली जायेगी। अन्य अनर्ह पाए गए निविदा—दाताओं की वित्तीय ई—निविदा नहीं खोली जायेंगी।

14.17 नियमानुसार तकनीकी निविदा में अर्ह पाई गई फर्म आदि की ई—वित्तीय निविदा को ही खोला जायेगा। ई—वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात BOQ में न्यूनतम कुल संविदा मूल्य के आधार पर संबंधित फर्म को **एल0—1 की श्रेणी** में वर्गीकृत किया जायेगा।

14.18 वित्तीय निविदा के अनुसार L1 में वर्गीकृत सफल निविदा—दाता फर्म/फर्मों को उनके द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर के आधार पर आगणित धनराशि का ***10* प्रतिशत की धनराशि** कार्यपूर्ति—प्रतिभूति के रूप में (Performance Security) किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से तैयार **केवल सावधि जमा रसीद** (FDR/TDR), **या बैंक गारण्टी** (BG), **या राष्ट्रीय बचत पत्र** (NSC) **अथवा डिमांड ड्रॉफ्ट (मूल में)** जिसे मुख्य **निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड** (Chief Electoral Officer Uttarakhand) के नाम से तैयार किया गया हो और उसकी वैधता कम से कम **180 दिन** की होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर वैधता तिथि को विस्तारित करने का दायित्व निविदा—दाता का होगा।

14.19 सन्तोषजनक ढंग से आपूर्ति कार्य पूर्ण करने के फलस्वरूप संबंधित जनपद से कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त यथा समय कार्यपूर्ति जमानत की धनराशि नियमानुसार वापस की जा सकेगी।

14.20 **वित्तीय ई—निविदा** के प्रारूप BOQ में केवल सामग्रीवार (Item-wise) दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिए। BOQ में प्रस्तुत वित्तीय ई—निविदा में Base Rate (**Excluding GST**) अंकित करनी होगी जिसमें **गन्तव्य तक परिवहन, लोडिंग एवं अनलोडिंग** सम्मिलित होंगी।

14.21 '.वांछित सामग्री मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रत्येक जनपद को आवंटित मात्रा में प्रत्येक जनपद मुख्यालय स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय भण्डार तक पहुंचाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा।

14.22 कायादेश के पश्चात फर्म के द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित देयकों का न तो भुगतान किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार किया जायेगा साथ ही जमानत की धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी जिसके लिए संबंधित फर्म आदि स्वयं उत्तरदायी होगी।

14.23 कार्यादेश जारी होने के पश्चात निर्धारित समयान्तर्गत अपेक्षित सामग्री की आपूर्ति की जानी नितान्त आवश्यक होगी, विलम्बतम् एक सप्ताह अन्दर आपूर्ति न किये जाने की दशा में आपूर्ति आदेश को निरस्त समझा जायेगा और आपूर्ति आदेश की धनराशि के सापेक्ष **₹ 5%** की धनराशि प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड (Penalty) के रूप में वसूली की कार्यवाही करने के साथ–साथ सम्बन्धित फर्म की कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि जब्त करते हुए ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। अर्थदण्ड की कुल धनराशि आपूर्ति आदेश की धनराशि के सापेक्ष **10%** से अधिक नहीं होगी।

14.24 निविदा–दाता फर्म आदि के द्वारा जिस फर्म के नाम पर ई–निविदा के माध्यम से अपनी निविदा प्रस्तुत की गई है, उसी फर्म आदि के नाम से सभी तकनीकी अभिलेख (ई–तकनीकी निविदा में जो भी अपेक्षित है) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। **तकनीकी ई–निविदा के रूप में अपलोड किए गए कोई भी अभिलेख केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में ही सुस्पष्ट और साफ पठनीय होने चाहिए।**

14.25 अन्तिम रूप से L1 में वर्गीकृत सफल निविदा–दाता फर्म के साथ नियमानुसार अनुबन्ध निष्पादित किये जाने की तिथि से निविदा–न्यूनत्तम दरों की वैधता एक वर्ष की होगी किन्तु वैधता की अवधि घटाने और बढ़ाने का सर्वाधिकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

14.26 निविदा अभिलेख में निर्धारित विभिन्न प्रकार की लेखन सामग्री–निर्वाचन सामग्री आदि की मात्रा घट अथवा बढ़ सकती है। किसी भी सामग्री की मात्रा में **± 25%** तक की वृद्धि होने पर वही दरें लागू होंगी जैसी की वित्तीय ई–निविदा में प्राप्त दरों के सापेक्ष निविदा समिति के द्वारा न्यूनत्तम दर को स्वीकृति–संस्तुति की गयी हो।

14.27 ई–निविदा आवेदन पत्र में समस्त सूचनाएं यथा स्थान स्पष्ट पठनीय लेख में हों एवं तकनीकी ई–निविदा में अपलोड किए गए वांछित सभी अभिलेख क्रमबद्ध रूप से संलग्न किए गए हों। केवल वही अभिलेख तकनीकी ई–निविदा में अपलोड किए जांय जो इस निविदा के माध्यम से वांछित हों अनावश्यक और अवांछित कोई भी अभिलेख तकनीकी ई–निविदा में अपलोड न किए जांय। तकनीकी ई–निविदा से संबंधित वांछित अभिलेख **ANNEXURE-7** के अनुसार क्रमबद्ध रूप से अपलोड किए जायं। हार्डकॉपी में तकनीकी निविदा संबंधी वांछित समस्त अभिलेख **ANNEXURE-6** के अनुसार प्रस्तुत करने होंगें।

14.28 किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास सर्वाधिकार सुरक्षित होगा। उक्त के संदर्भ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा। सशर्त कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी। आवश्यकता पड़ने पर निविदा की नियम/शर्तों में संशोधन/परिवर्तन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

ANNEXURE-6

लोक सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन हेतु मतदेय स्थलों के प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार लेखन सामग्री, निर्वाचन सामग्री आदि की आपूर्ति हेतु तकनीकी ई–निविदा प्रपत्र, जिसे तकनीकी निविदा के साथ मूल में प्रस्तुत किया जाएगा।

1– निविदा–दाता फर्म का नामः–

2– फर्म का पता (टेलीफोन नम्बर/ई मेल आईडी सहित):–

3– GST पंजीकरण संख्याः–

4– फर्म आदि का स्थाई लेखा संख्या (पैन नम्बर):–

5– विगत पाँच वर्षों में, किसी भी तीन वर्ष में लेखन सामग्री–निर्वाचन सामग्री आदि की आपूर्ति के संबंध में प्रस्तर–6.4 के अनुसार औसत टर्नओवर का विवरणः–

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018–2019	वित्तीय वर्ष 201–2020	वित्तीय वर्ष 2020–2021	वित्तीय वर्ष 2021–2022	वित्तीय वर्ष 2022–2023
1	2	3	4	5	6
1.कुल टर्नओवर रू.–					
2.औसत टर्नओवर रू.–					
3.नेटवर्थ –					

नोट– नेटवर्थ पॉजीटिव होनी चाहिए।उक्त तालिका में निविदा–दाता द्वारा स्वयं ही अपने अभिलेखों के अनुसार किन्हीं भी तीन वर्षों का वांछित विवरण भरा जाएगा

6– ब्लेक लिस्टेड न होने आदि से संबंधित अपेक्षित शपथ–पत्र मूल में संलग्न करेंः–

7– धरोहर धनराशि (EMD) का विवरणः–
(एफडीआर, टीडीआर/बीजी, एनएससी अथवा डिमांड ड्रॉफ्ट आदि की संख्या, दिनांक एवं धनराशि अंकित करें तथा मूल में प्रस्तुत करें)

8– निविदा फार्म हेतु निर्धारित शुल्क का विवरणः–
(बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक आदि की संख्या, दिनांक एवं धनराशि अंकित करें तथा मूल में प्रस्तुत करें)

9:– विभिन्न प्रकार की लेखन सामग्री, निर्वाचन सामग्री की एक किट भी सैम्पल के रूप में प्रस्तुत करें।

10– POWER OF ATTORNEY FOR SIGNING OF BID, in ANNEXURE-8 (रू0. 100.00 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मूल में)

11– उक्तानुसार तकनीकी निविदा से संबंधित सील्ड लिफाफे में संलग्नकों की कुल संख्या :–

निविदा–दाता की घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि, विभिन्न प्रकार की लेखन सामग्री/निर्वाचन सामग्री आदि की आपूर्ति हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा निविदा में अंकित नियम/शर्तों सहित निविदा के इस सम्पूर्ण अभिलेख को भली–भॉति से पढ़ व समझ लिया है और तत्पश्चात ही निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग किया जा रहा है। निविदा के लिए विभाग द्वारा नियत उपरोक्त नियम एवं शर्तें स्वीकार

करते हुए यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निविदा की नियम/शर्तों का किसी भी प्रकार से अनुपालन न करने या उल्लंघन करने के लिए निविदा–दाता उत्तरदायी होगें।

हस्ताक्षर........................

पूरा नाम...

पूरा पता...

फोन/फैक्स नं0..

मोबा0नं0..............................

फर्म की मुहर यहां
पर लगाई जाय।

ई–मेल आई.डी. –

नोट– उक्त प्रपत्र के किसी बिन्दु पर वांछित सूचना अंकित न करने, या किसी बिन्दु पर वांछित सूचना के स्थान को खाली छोड़ने अथवा अपेक्षित अभिलेख एवं निर्धारित माप, मात्रा एवं गुणवत्ता के साथ लेखन सामग्री की किट का सैम्पल प्रस्तुत न करने पर ऐसी किसी भी निविदा को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा।

ANNEXURE-7

लोक सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन हेतु मतदेय स्थलों के प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार की लेखन सामग्री, निर्वाचन सामग्री आदि की आपूर्ति हेतु तकनीकी ई–निविदा के साथ अपलोड किए जाने वाले संलग्नकों का विवरण।

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या (से– तक)
1.	तकनीकी ई–निविदा का सारॉंश ANNEXURE-6	
2.	फर्म का GST रजिस्ट्रेशन अभिलेख (यथा नियमानुसार)	
3.	फर्म का PAN Card की प्रति ।	
4.	फर्म का विभिन्न विभाग/कार्यालयों आदि में लेखन सामग्री–निर्वाचन सामग्री आदि की आपूर्ति से संबंधित अनुभव प्रमाण–पत्र ।	
5.	वित्तीय वर्ष–2018–2019 के टर्नओवर से संबंधित CA द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंसशीट।	
6.	वित्तीय वर्ष–2019–2020 के टर्नओवर से संबंधित CA द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंसशीट।	
7.	वित्तीय वर्ष–2020–2021 के टर्नओवर से संबंधित CA द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंसशीट।	
8.	वित्तीय वर्ष–2021–2022 के टर्नओवर से संबंधित CA द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंसशीट।	
9.	वित्तीय वर्ष–2022–2023 के टर्नओवर से संबंधित CA द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंसशीट।	
10.	वित्तीय वर्ष–2020–2021 तक जमा आयकर रिटर्न से संबंधित रसीद/अभिलेख।	
11.	वित्तीय वर्ष–2021–2022 तक जमा आयकर रिटर्न से संबंधित रसीद/अभिलेख।	
12.	वित्तीय वर्ष–2022–2023 तक जमा आयकर रिटर्न से संबंधित रसीद/अभिलेख।	
13.	निविदा अभिलेख के मूल्य से संबंधित बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक आदि की स्केन पीडीएफ।	
14.	प्रस्तुत निविदा के अनुसार EMD से संबंधित अभिलेख की स्केन पीडीएफ	
15.	फर्म के ब्लेक लिस्टेड न होने आदि के संबंध में वांछित शपथ–पत्र की स्केन पीडीएफ	
16.	निविदा के इस अभिलेख (Tender Document) की मुहर व हस्ताक्षर युक्त स्केन पीडीएफ	
17.	प्रस्तर–8.4 के अनुसार वांछित अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रति	
18.	प्रस्तर–8.5 के अनुसार सी.ए. के लेटरहेड पर किन्हीं तीन वर्षों के टर्नओवर से संबंधित सी.ए.द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंशसीट का सार (Abstract)	
19.	प्रस्तर–8.6 के अनुसार संतोषजनक कार्य के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूर्ति एवं अंतिम भुगतान का प्रमाण–पत्र की प्रति (क)	

	अथवा (ख) अथवा (ग) अनुसार अपलोड करना।	
20.	प्रस्तर–7.6 के अनुसार POWER OF ATTORNEY FOR SIGNING OF BID, in ANNEXURE-8 **(रू0.100.00 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मूल में)** स्केन पीडीएफ।	

नोटः– कृपया ऑन लाईन तकनीकी ई–निवदा में उक्तानुसार संलग्न सभी अभिलेखों पर नम्बरिंग कर उपरोक्त क्रम में ही अलपोड करने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर.........................

पूरा नाम...

पूरा पता...

फर्म की मुहर यहां पर लगाई जाय।

फोन / फैक्स नं0..

मोबा0नं0...............................

ई–मेल आई.डी. –

ANNEXURE-8

POWER OF ATTORNEY FOR SIGNING OF BID

Format for Power of Attorney for Signing of Application

(On a Stamp Paper of Rs 100/-)

Power of Attorney

We, ……………………………………………….[*name and address of the registered office*] do hereby constitute, appoint and authorize Mr. / Ms. ………………………………(*name and residential address*) who is presently employed with us and holding the position of …………………………………………..as our attorney, to do in our name and on our behalf, all such acts, deeds and things necessary in connection with or incidental to our response to the Tender for supply of [insert brief description of the goods] including signing and submission of all documents and providing information to the Client (i.e. [*insert name of the TIA*]) and its officials or representatives , representing us in all matters before Client, and generally dealing with Client in all matters in connection with our bid response.

We hereby agree to ratify all acts, deeds and things lawfully done by our said attorney pursuant to this Power of Attorney and that all acts, deeds and things done by our aforesaid attorney shall and shall always be deemed to have been done by us.

Dated this the _______ day of _______200_

For ____________________________

(Name, Designation and Address)

Accepted

__________________________(Signature)

(Name, Title and Address of the Attorney)

Date: __________

Note:

i. *The mode of execution of the Power of Attorney should be in accordance with the procedure, if any, as laid down by the applicable law and the charter documents of the executants(s) and when it is so required the same should be under common seal affixed in accordance with the required procedure.*
ii. *In case an authorized Director or key officials of the Applicant signs the Application, a certified copy of the appropriate resolution/ document conveying such authority may be enclosed in lieu of the Power of Attorney.*